न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 116/2025 G.C.M.S. No. 2025/712 दर्ज दिनांक : 06.11.2025

अपीलार्थिगणः

1. करनाराम पुत्र भानाराम
2. जीयाराम पुत्र दुर्गाराम
3. दीपाराम पुत्र भानाराम
4. पीराराम पुत्र दुदाराम, निवासी खामराई, तहसील चितलवाना, जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. मोतीराम पुत्र राहीगाजी
2. चीमा पुत्र भोजा
3. तेजाराम पुत्र गोमदा
4. तोगेश कुमार पुत्र धुड़ाराम
5. धनी देवी पत्नी धुड़ाराम
6. नवलाराम पुत्र धुड़ाराम
7. मुलाराम पुत्र राहीगा
8. लुंभाराम पुत्र गोमदा
9. लिखमाराम पुत्र गोमदा
10. वागाराम पुत्र राहीगा, जातिगण जाट, निवासी खामराई, तहसील चितलवाना, जिला जालोर
11. नेनु पुत्री राहीगा, पत्नी कालुराम, निवासी खामराई, हाल निवासी कलजी की बेरी
12. नवली पुत्री राहीगा पत्नी हीराराम निवासी खामराई हाल निवासी भीमगुडा तहसील चितलवाना
13. हेमी पुत्री राहीगा पत्नी लालाराम, निवासी दुधु, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर
14. हीरो पुत्री राहीगा पत्नी जयराम निवासी खामराई, हाल भीमगुड़ा तहसील चितलवाना जिला जालोर
15. कलाराम पुत्र मालाराम निवासी खामराई हाल भीमगुड़ा तहसील चितलवाना जिला जालोर
16. किशना पुत्र मालाराम निवासी खामराई हाल निवासी जाणीपुरा
17. खेताराम पुत्र दानाराम निवासी खामराई
18. धुड़ाराम पुत्र दानाराम
19. जीयाराम पुत्र मालाराम जातिगण जाट निवासी खामराई तहसील चितलवाना, जिला जालोर
20. मृत हुकमा पुत्र माला के कायम मुकामः—

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

20.1 इमरती पत्नी हुकमाराम

20.2 पूनमा स्व. हुकमा(फौत) के कायम मुकामः—

20.2.1 हनुमा पुत्र पूनमाराम

20.2.2 गेनाराम पुत्र पूनमाराम

20.2.3 जमना पत्नी पूनमाराम जातिगण जाट निवासी खामराई हाल खारी तहसील सेडवा जिला बाड़मेर

21. व्यवस्थापक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा डूंगरी
22. व्यवस्थापक जालोर सह. भूमि विकास बैक लि. शाखा सांचौर
23. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार महोदय चितलवाना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी चितलवाना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2024 बअनवान मोतीराम बनाम करनाराम में पारित आदेश दिनांक 30.10.2025

पैरोकारः—

1. श्री घनश्याम सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री गोरधनराम बिश्नोई, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांकः 27.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी चितलवाना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2024 बअनवान मोतीराम बनाम करनाराम में पारित आदेश दिनांक 30.10.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 01 की ओर से अपीलांट्स एवं शेष रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि ग्राम खामराई पटवारी हल्का डूंगरी के खेत खसरा नम्बर 524 रकबा 8.81 हैक्टेयर प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा का आया हुआ है। जिसमें मौके पर रहवासीय ढाणीय आयी हुई है। उक्त खेत प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त का आया हुआ है। प्रार्थीगण को उक्त खेत में व रहवासीय ढाणी में आने जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी ग्राम खामराई पटवार हल्का डूंगरी के खसरा नम्बर 927/511 रकबा 0.07 हैक्टेयर में से 180 मीटर लम्बा, खसरा संख्या 930/511 रकबा 0.06 हैक्टेयर में से 56 मीटर लम्बा, खसरा सख्या 925/516 रकबा 0.03 हैक्टेयर में से 68 मीटर, खसरा संख्या 922/516 रकबा 0.11 हैक्टेयर में से 40 मीटर के उक्त भूमि में 04 मीटर चौडे रास्ते की निकटतम रूट से आवश्यकता है। जिस हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थीगण हमारे खेत खसरा संख्या 524 में से अप्रार्थी संख्या 07 धुड़ाराम के खेत खसरा संख्या 514 में आने जाने के लिए खसरा संख्या 514 में प्रवेश तक रास्ता देने हेतु सहमत है। खसरा संख्या 927/511 व 925/516 के खातेदार झीमो पत्नी भानाराम व तगीदेवी पत्नी दुदाराम की मृत्यु की हो चुकी है। जिसके

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विधिक वारिस अप्रार्थी पक्ष के रूप में संयोजित है व इसी खसरे के खातेदार हुकमा की मृत्यु हो चुकी है। जिसके विधिक वारिस अप्रार्थी पक्षकार में संयोजित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलांट की ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दी गई व जवाब पेश किया गया। अंत में न्यायालय द्वारा विधि के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वर्ष 2013 में अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट स के पिता/दादा व स्वयं द्वारा आपसी सहमति रास्ता तय किया, जिसका उल्लेख अपीलाधीन निर्णय में किया गया है, लेकिन आपसी सहमति से हुए बंटवाडा में अपील के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा मार्क ए से बी भाग का रास्ता कभी चालू नहीं किया, ना ही उक्त रास्ता खोला गया, ना ही रास्ता विद्यमान था, ना ही रेस्पोडेन्ट ने उक्त रास्ते से आवागमन किया क्योकि आपसी सहमति से तय किया रास्ता मार्क ए से बी खेत के बीच में से होकर निकालना बताया है, जो विधि के मंशा के विपरीत है, आपसी सहमति से निकाले गये रास्ते की शुद्धि के लिए अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर दिया था, जो विचाराधी है। खसरा संख्या 508, 511 अपीलांट का है और अपीलांट का खेत एक ही चक का है। इसमें से रास्ता निकालने पर अपीलांट के खेत के तीन टूकडे हो रहे है और अपीलांट को कृषि कार्य करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेस्पोडेन्ट संख्या 15 से 20 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व में दिनांक 08.07.2024 मौका रिपोर्ट तहसीलदार महोदय द्वारा मौके पर जाकर पक्षकारान को नोटिस देकर मौके की जांच एवं अवलोकन कर रिपोर्ट तैयार की, जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 15 से 20 द्वारा विरोध कर पुनः नई मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली नियत की। उपरोक्त रेस्पोडेन्ट द्वारा उसकी निगरानी राज राजस्व मण्डल अजमेंर में की गई, राज राजस्व मण्उल अजमेर द्वारा दो माह के भीतर दोनो पक्षकार को नोटिस देकर दोनो की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन दुसरी मौका रिपोर्ट तैयार करते समय पीठासीन अधिकारी द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट्स को ही मौके पर बुलाकर अपीलांट की अनुपस्थिति में, अपीलांट को सूचित किये बगैर रिपोर्ट तैयार कर दी एवं पूर्व में दिनांक 08.07.2024 को बनाई गई रिपोर्ट के पूर्णतया भिन्न रिपोर्ट दिनांक 20.03.2025 बनाई एवं अपीलांट को यह कहा गया कि पूर्व में बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर ही यह रिपोर्ट बना रहे है। जबकि प्रथम रिपोर्ट से भिन्न रिपोर्ट बनाकर पक्षकारो के हस्ताक्षर करवा दिये, जिसमें नये रास्ते भी दर्ज कर दिये। इसी आधार पर न्यायालय में उपरोक्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनो खसरान में आने जाने हेतु जो रास्ता दुसरी मौका रिपोर्ट में बताया गया है जिससे अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनो के खेत के अलग अलग हिस्से हो रहे है, मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 15 से 20 अपीलांट से रंजिश रखते है। इस कारण बेवजह तंग परेशान कर रहे है। अतः अपीलांट अपील स्वीकार फरमावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 14 द्वारा सरहद मौजा ग्राम खामराई पटवारी हल्का डूंगरी के खेत खसरा नम्बर 524 रकबा 8.81 हैक्टेयर की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की मांग हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30.10.2025 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गयी।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 524 तक पहुंच के लिए रास्ते की मांग की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा खसरा सख्या 940/508, 930/511, 925/516, 936/515, 934/514, 938/424, 939/424 में से मुताबिक मौका रिपोर्ट बिन्दु **E, B, F, G, C,H, I, J, K** रास्ता स्वीकृत किया गया है। प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आदेश दिनांक 24.07.2025 द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान की उपस्थिति में धारा 251 क के प्रावधानों की पालना कर उपखण्ड अधिकारी स्वयं को स्वयं मौका निरीक्षण कर उभयपक्ष की सुनवाई उपरांत निर्णित करने के निर्देश दिए गए जिसकी पालना में उपखण्ड अधिकारी सांचौर द्वारा दिनांक 12.03.2025 को मौका रिपोर्ट तैयार की गयी। जिसके निरीक्षण से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा **E, B, F, G, C,H, I, J, L** को पूर्व में बंटवाड़ा में शामलाती उपयोग हेतु खातेदारान द्वारा रास्ता के रूप में छोड़ा जाना एवं मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग व चलायमान होना अंकित किया है। प्रार्थीगण द्वारा ए से बी खसरा संख्या 1172/927 की पश्चिमी व दक्षिणी सीमा के सहारे जो पेनोरिया लिफ्ट वितरिका से शुरू होकर ई से एफ के रूप में अंकित खसरा संख्या 940/508 व 930/511 जो पूर्व मे बंटवाडे में शामलाती छोड़ा गया रास्ता है से मिलता है एवं सी से बी खसरा संख्या 922/516 की दक्षिणी सीमा के सहारे रास्ते की मांग की गयी थी।
3. अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि प्रार्थीगण द्वारा ए से बी अर्थात खसरा 1172/927 की पश्चिमी व दक्षिणी सीमा के सहारे रास्ते की मांग की गयी थी। जिससे अपीलांट भी सहमत थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त स्थान से रास्ता स्वीकृत नहीं कर ई से एफ के रूप में रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 508 दो भागो में विभक्त हो जाएगी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से हमारे विनम्र मत में मूल खसरा संख्या 508 में से पेनोरिया लिफ्ट वितरिका निकलने से उक्त आराजी दो भागो में विभाजित हो गयी। उक्त वितरिका के दक्षिण में मूल खसरा संख्या 508 के दो भाग एवं उनके मध्य में खसरा संख्या 940/508 स्थित है जिसकी किस्म बारानी है। अतः स्पष्ट है कि जो कि ई से एफ के रूप में दर्शित है रास्ता स्वीकृत करने से खसरा संख्या 508 की आराजी के मध्य में से रास्ता निकलेगा। जिससे आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विभाजित होगी। उक्त आराजी के लगती खसरा संख्या 1172/927 स्थित है जो कि अपीलांट की आराजी है तथा 940/508 भी अपीलांट की आराजी है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में खसरा संख्या 927/511 की पश्चिमी व दक्षिणी सीमा के सहारे जो कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नक्शा परिशिष्ट अ में अंकित है, उक्त स्थान से रास्ता स्वीकृत करने हेतु सहमति जाहिर की है। अपीलांट अप्रार्थी संख्या 01 से 04 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण से सहमति जाहिर की तथा प्रार्थीगण की मांग अनुसार रास्ता स्वीकृत करने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया। हमारे विनम्र मत में जब प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थी सहमत हो जाते है ऐसी स्थिति में न्यायालय को प्रकरण को सहमति/राजीनामा के आधार पर निस्तारित किये जाने पर बल देना चाहिए। अतः अपीलांट का उक्त सारवान होने से स्वीकार योग्य है तथा उपर्युक्त विवेचन अनुसार अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य नही है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन आदेश पुष्टियोग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः निर्णयन निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2024 बअनवान मोतीराम बनाम करनाराम में पारित आदेश दिनांक 30.10.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थीगण की मांग एवं अपीलांट अप्रार्थीगण की सहमति अनुसार प्रकरण में कोई नवीन मौका रिपोर्ट तलब किए बिना उपखण्ड अधिकारी सांचौर स्वयं द्वारा दिनांक 12.03.2025 को तैयार मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा में वर्णित मार्क ई, बी, एफ, जी, एच, आई, जे, एल के स्थान पर ए, बी, एफ, जी, सी, एच, आई, जे, एल. मार्क अनुसार रास्ता उभयपक्षकारान की सुनवाई उपरांत स्वीकृत करे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 18.05.2026 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना में वकालतन/असालतन में उपस्थित रहे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली